फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) आमेर मुख्यालय जयपुर

रेखा कंवर बनाम देवेन्द्र सिंह व अन्य

पत्र संख्या : 47/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
17.08.2023	वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वय का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियॉ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर सुना। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर, अप्रार्थीगण को आगामी पेशी तक जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम रूण्डल, पटवार हल्का रूण्डल, भु0अ0नि0 क्षेत्र मानपुरा माचेडी तह0 आमेर जिला जयपुर स्थित खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 920 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 921 रकबा 0.0400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 921/1903 रकबा 3.3100 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.5400 हैक्टेयर विवादग्रस्त भूमि पर राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। वकील वादी द्वारा प्रतिवादीगण को तलबी पूर्ण नहीं करवाने की स्थिति में उचित आदेश पारित कर दिया जावेगा। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो, अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 12.09.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर आज दिनांक 12/9/23 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा आज कन्डोलेंस/कार्य बहिष्कार किये जाने के कारण न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। पी.ओ.सा. अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12/10/23 को पेश हों।	नोटिस जारी 1724-1728 29/8/23
22/9/23	पत्रावली मूलतलब में विज्ञा प्रा० पत्र पेश होने पर तलब की गई इस [illegible] के मूलतलब की विज्ञा प्रा० पत्र स्वीकार किया जा[illegible] की खारिज किया जा[illegible] चलाये जाने के [illegible] प्रा० पत्र [illegible] पर खारिज किया जाता है पत्रावली दर्ज रजि० से नाम [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर	रेखा राणा 22.9.2023

Signature Not Verified
Digitally signed by SHYAMA RATHORE
Date: 2024.02.19 12:47:07 IST
Reason: SelfAttested